प्रेस विज्ञप्ति
पी॰यू॰सी॰एल॰ छत्तीसगढ़

10 दिसम्बर 2021

अंतर्रष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर पी. यू. सी. एल. की पहलकदमी पर जनवादी संगठनों के साझा नेतृत्व में सभा का आयोजन नगर निगम गार्डन रायपुर में किया गया है।

आज भारत में दमनकारी सरकार द्वारा किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों व धार्मिक अल्पसंख्यकों के निर्मम दमन के साथ - साथ आम नागरिकों व विशिष्ट बौद्धिकजनों का दमन किया जा रहा है। संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारों समेत सभी लोकतांत्रिक मानवाधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन सरकार द्वारा एवं उनकी शह पर असंवैधानिक, असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है। बेगुनाहों को फर्जी केस में फंसाने, सत्ता के द्वारा पोषित तत्वों द्वारा मॉब लिंचिंग से लेकर सामाजिक बहिष्कार, प्रताड़ना, विचार व अभिव्यक्ति पर बलपूर्वक रोकटोक जारी है।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, यू. ए. पी. ए. तथा अन्य दमनकारी क़ानूनों का दुरुपयोग असहमति व जन आंदोलनों को कुचलने के लिए किया जा रहा है।

देश के संघर्षशील प्रबुद्ध व्यक्तियों को भीमा कोरेगांव मामले में फर्जी ढंग से फंसाया गया, जो 3 सालों से जेल में निरूद्ध है। फादर स्टैंड स्वामी की संस्थागत हत्या की गई। सी. ए. ए. / एन. आर. सी. के खिलाफ संवैधानिक लोकतांत्रिक विरोध कर रही जनता को दमनकारी कानूनों में फर्जी तरीकों से फंसाया गया।

राष्ट्रीय एजेंसी एन. आई. ए. का इस्तेमाल लोकतंत्र को कुचलने में किया जा रहा है। यू. ए. पी. ए. भारतीय संविधान के मान्य संघीय ढांचे के विरुद्ध केंद्र सरकार को निरंकुश शक्ति देता है। विगत समय मे अनेक वरिष्ठ न्यायाधीशों और कानूनविदों के द्वारा इसे निरस्त करने तथा प्रताड़ित लोगों को मुवायजा दिये जाने की मांग की जा चुकी है। इसके साथ ही यू. ए. पी. ए. के अंतर्गत दर्ज मुकदमों की संख्या तथा शासन द्वारा दी जाने वाली सूचनाये भी मेल नहीं खाती, जो यह दर्शाता है की सरकार आंकड़ों को छुपाने का काम कर रही है।

अनेक शोधों से यह परिणाम निकलकर आया है कि, यू. ए. पी. ए. के अंतर्गत दर्ज मुकदमों मे आरोप सिद्धि सिर्फ 2% है। इस दमनकारी अधिनियम के संदर्भ मे ऐसे अनेक तथ्य प्रस्तुत किये जा चुके हैं, जो इसे निरस्त कर लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल किया जाने की मांग को और भी मजबूती प्रदान करते हैं।

छत्तीसगढ़ में वर्षों से आदिवासियों को नकली मुठभेड़ों में मारा जा रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। जिन मामलों में न्यायिक जांच आयोग बैठाया गया, जिनमें मीना खलखो फर्जी मुठभेड़, सारकेगुड़ा गोलीकांड, एडसमेटा गोलीकांड प्रमुख है, उनमें न्यायिक जांच आयोगो ने कथित मुठभेड़ों को फर्जी करार दिया, लेकिन इनके दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे लगातार फर्जी मुठभेड़ व गोलीकांड घटित हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में ऐसे ही फर्जी मुकदमों में हिड्मे मरकाम जैसे अनेक आदिवासी जेलों में बंद हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इनकी रिहाई का ऐलान किया था। कांग्रेस सरकार बनने के बाद न्यायिक कमेटी का गठन तो हुआ, लेकिन बहुत कम मामलों में विचार किया गया, बाकी और मामलों में टरकाऊ रवैया अपनाया जा रहा है।

हम मानवाधिकार कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज की जमानत का स्वागत करते है। साथ ही हमारी मांग है कि त्वरित गति से सभी निर्दोषों पर फर्जी मुकदमे समाप्त किया जाए।

प्रदेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रही लगातार हिंसा और दमन की घटनाओ पर रोक लगायी जाए और उनमें सम्मिलित साम्प्रदायिक और असामाजिक ततवों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। भूपेश बघेल के सरकार द्वारा राम

वन गमन पथ जैसे योजनाओं - जिसका विरोध समग्र आदिवासी समाज द्वारा किया जा रहा है - से प्रदेश में ऐसी साम्प्रदायिक हिंसा को और बढ़ावा मिलता है।

देश - प्रदेश के आम नागरिकों से अपील करते हैं कि, जन आंदोलन को विकसित करें और शोषक शासकों को सबक सिखाएं। दुनिया में सिर्फ जन आंदोलनो से ही मानवाधिकार और न्याय को बचाया जा सका है।

सभा में सहभागी संगठन के नाम इस प्रकार है - छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति, छत्तीसगढ़ नागरिक संयुक्त संघर्ष समिति, ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम (छत्तीसगढ़), ईफ वी डू नॉट राइज (छत्तीसगढ़), कमहिला मुक्ति मोर्चा, महिला अधिकार मंच, नदी घाटी मोर्चा, जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन, शहरी गरीब जागरुक मंच, छत्तीसगढ़ हॉकर फेडरेशन, जन आधारित पावर प्लांट मजदूर यूनियन, गुरु घासीदास सेवादार संघ, प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ, लोकतांत्रिक इस्पात एवं इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन, दलित मुक्ति मोर्चा, नगरी निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन, प्रोग्रेसिव क्रिश्चियन एलायंस (छत्तीसगढ़)

सभा को गौतम बंदोपाध्याय, गोल्डी एम जॉर्ज, ममता कुजूर, विजयलक्ष्मी, अखिलेश एड्गर, नीलकंट साहू, शीतल गेदाम, उर्मिला राय, झरना साहू, माया, सोरा यादव, तेजराम विद्रोही, अशोक व झा जी ने सम्बोधित किया। कलादास डहरिया ने कार्यक्रम का संचालन किया। सभा में लगभग २०० से भी ज़्यादा मानवाधिकार व सामाजिक कार्यकर्ता, ट्रेड यूनियन, महिला संगठन, किसान, मज़दूर युवा छात्र व अन्य नागरिक संगठन के साथी सम्मिलित हुए।

सभा के बाद जुलूस के रूप में अम्बेडकर प्रतिमास्थल कोलेक्टरेट चौक आए और डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनवाधिकारों के संदर्भ में उनके विशेष योगदान को याद किया। तत्पश्चात स्थानीय कोलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

PUCL छत्तीसगढ़ की तरफ़ से ज़ारी